(10)

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–20/2010

धारा 21 B.P.P.H.T. Act. अन्तर्गत

1. श्रीमती माधो देवी, पति–रामू मंडल
2. बिनोद मंडल, पिता–नागेश्वर मंडल
3. चलित्तर मंडल, पिता–नागेश्वर मंडल

सभी का सा0–पकड़िया, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियाँ

————आवेदकगण

बनाम

बासुदेव मंडल, पिता–चमरू मंडल, सा0–पकड़िया, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियाँ .....

————विपक्षी

आ दे श

आवेदक अंचल पदाधिकारी, रूपौली द्वारा बासगीत पर्चा वाद सं0–29/1998–99 में दिनांक–02.12.1998 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारंभ किया है। आवेदक मौजा–बेला परसादी, खाता सं0–603, खेसरा सं0–999, रकवा–8 डि0 एवं खेसरा सं0–1000, रकवा–6 डि0 जमीन पर भूस्वामी की अनुमति से लगभग 25 वर्षो से सपरिवार घर बनाकर रह रहा है। आवेदक उपरोक्त जमीन में कुछ फलों के पेड़ भी लगाए हुए है। वर्ष 2009 ई0 में दिनांक–12.06.09 को आवेदक भूस्वामी को जमीन का रूपया देकर अपने नाम निबंधित केवाला करवा लिया। केवाला करवाने के बाद जब आवेदक नामान्तरण करवाने अंचल कार्यालय गया तब पता चला कि विपक्षी के नाम खेसरा सं0–1000, खाता सं0–603, रकवा–2 डि0 का पर्चा निर्गत हो चुका है। आवेदक बासगीत पर्चा का नकल लेने के बाद देखा कि विपक्षी ने खाता सं0–135, खेसर सं0–1004, रकवा–2½ डि0 जमीन का पर्चा बनवाने के लिए आवेदन दिया था जबकि अंचल पदाधिकारी द्वारा आवेदक के नाम जमीन का पर्चा दिया गया। स्पष्ट है कि अंचल कार्यालय द्वारा बिना किसी प्रक्रियाँओं का पालन किए बगैर कार्यालय में ही बैठकर पर्चा निर्गत किया गया। आवेदक 25 वर्षों से उपरोक्त जमीन पर घर बनाकर रह रहा है। विपक्षी का प्रश्नगत जमीन से कोई संबंध नहीं है और न ही प्रश्रय प्राप्त रैयत है।

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया हैं।

निर्धारित तिथि दिनांक 24.02.2012 को विपक्षी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। वे अपने हाजरी देने के बाबजूद भी सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित रहना उचित नहीं समझा। पूर्व में भी दिनांक 20.06.2011, 19.08.2011, 24.10.2011 एवं 16.12.2011 को वे हाजरी देने के बाबजूद भी

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय में पुकार पर अनुपस्थित रहे। दिनांक 03.02.2012 को उनका अनुपस्थिति को देखते हुए अंतिम मौका देते हुए सुनवाई हेतु निश्चित रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। इतने बार मौका देने के बाबजूद भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित रहना उचित नहीं समझा। इससे स्पष्ट है कि वे इस वाद के त्वरित निष्पादन नहीं चाहते है। उपस्थित आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कथन है कि विपक्षी लगातार अनुपस्थित हो रहे है। उनको इस विषयांकित जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उक्त जमीन पर आवेदक अपने दखल–कब्जा होने का दावा किये है। निम्न न्यायालय द्वारा बिना कोई सूचना दिये आदेश पारित किया गया। पुनः दिनांक 30.03.2012 को सुनवाई हेतु रखा गया। उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के उपरान्त स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। इस निर्णय के साथ निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अंचलाधिकारी, रूपौली को आदेश दिया जाता है कि वे स्वंय स्थल निरीक्षण कर उभय पक्षों को सुनने के बाद पुनः मुकर आदेश पारित करें। लेखापित एवं संशोधित। 30/3/12 समाहर्त्ता, पूर्णियाँ 30/3/12 समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	